न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–116/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00191)

1. भंवरलाल पुत्र मुरलीधर, जाति ब्राहाम्ण, निवासी रेनवाल, तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री मदनलाल कूडी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 28.02.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्व ग्राम रेनवाल तहसील किशनगढ रेनवाल व जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 1265/2 जो राजस्व जमाबन्दी में दर्ज है जो सम्वत् 2011 से 2029 की जमाबन्दी में अन्नू खॉ पुत्र अकबर खॉ के नाम दर्ज रही जो बतौर खातेदार काश्तकार रहा है, जिनसे अपीलान्ट ने सम्पूर्ण हिस्सा खरीद कर विधिक प्रक्रिया के आदेशाानुसार नामान्तरकरण खुलवाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी काश्तकार दर्ज रहे जो निरन्तर काबिज काश्त है। उन्होने आगे कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2059 से 2062 की राजस्व जमाबन्दी में दर्ज उक्त आराजीयात माफी मंदिर श्री विठ्ठलजी वाके सामोद के नाम दर्ज कर दी गई जबकि उक्त आराजीयात अन्नू खॉ पुत्र अकबर खॉ के नाम के नाम कब्जे काश्त कानूनन जॉच पड़ताल कर दर्ज की गई तथा इनसे खरीद करने पर अपीलान्ट के नाम दर्ज रही। उक्त आराजीयात सम्वत् 2011 से 2029 भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी के कॉलम संख्या 5 में अन्नू खॉ पुत्र अकबर खॉ के नाम अंकित थी उसके बाद अपीलान्ट उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है जिसको दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ने अपीलान्ट को उनके हक व अधिकारों से महरूम करते हुये क्षेत्राधिकार बाहर जाकर न्यायिक प्रक्रिया व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दरकिनार कर अपीलान्ट को बिना सूचना, बिना सुने, बिना साक्ष्य, सबूत का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2555 दिनांक 17.07.2004 को माफी मंदिर

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

श्री विठुलजी सा. देह के नाम तस्दीक कर दिया गया। जिस तथ्य पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2555 दिनांक 17.07.2004 के विरूद्ध अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया था कि उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध तस्दीक किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावें लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों और अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टान्तों व राजस्व रिकार्ड को दरकिनार करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 द्वारा अपीलान्ट की अपील को विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया है, जो अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2029, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2035 व नामान्तरकरण संख्या 2555 जो नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 17.07.2004 को स्वीकार किया गया व सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्र का अध्ययन व अवलोकन किये बिना ही तथा राज्य सरकार द्वारा परिपत्रों का गलत अवलोकन करते हुये उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल के आदेश दिनांक 17.07.2004 को यथावत रखा है जो विधि विरूद्ध व न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 1265/2 जो जागीर रिजम्पशन एक्ट की धारा 9 के तहत अन्नू खॉ पुत्र अकबर खॉ के नाम दर्ज की गई जिसका स्पष्ट उल्लेख भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी सम्वत् 2011 से 2029 के कॉलम संख्या 5 में स्पष्ट है उक्त भूमि पर क्रय करने के उपरान्त अपीलान्ट आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी भी प्रकार की कोई विधिक सूचना नही दी गई, ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का व साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान किया जबकि कानूनन बिना विधिक सूचना व बिना सुने कार्यवाही नही की जा सकती बल्कि अधीनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुये उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित है एवं एक तरफा आदेश व कार्यवाही कानूनन प्रभावहीन है इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 4–3(2)राज–6/2007 दिनांक 24.05.2007 में स्पष्ट निर्देश है कि

माननीय आयुक्त
जयपुर

गलत ढंग से कृषकों का नाम जमाबन्दी से हटाने की विधि विरूद्ध प्रक्रिया को रोका जाना चाहिये को दरकिनार कर उक्त निर्णय की पालना में अपीलान्ट की खातेदारी की जगह माफी मंदिर दर्ज कर दी जो गलत एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा अपील संख्या 8/2017 बउनवानी भॅवरलाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2018 को खारिज फरमाया जाकर नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 2555 दिनांक 17.07.2004 को अपास्त किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि माफी मंदिर की भूमि रही है तथा मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिंग होने कारण उसकी भूमि की खातेदारी किसी व्यक्ति को प्राप्त नही हो सकती है तथा अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का कोई लगान सन् 2004 से जमा नही करवाया गया है क्योंकि वे वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार नही रहे है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 में कोई विधिक त्रुटि नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों इत्यादि का अवलोकन किया किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2029 की प्रतिलिपि अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1265/2 माफी मंदिर श्री विठुलजी के नाम अंकित है एवं कृषक के खाना नम्बर पॉच में अन्नू खॉ पुत्र अकबर खॉ कौम मुसलमान खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है इससे स्पष्ट कि उक्त वादग्रस्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि नही थी तथा अन्नू खॉ पुत्र अकबार की काश्तकारी की भूमि थी तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 जो तारा वगैरह बनाम राजस्थान सरकार वगैरह की विभिन्न याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया गया है, में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि मंदिर या डोली को भूमि के रूप मे प्रदत्त जागीर की भूमि जिसमें मंदिर खुदकाश्त नही है तथा भूमि पुजारी अथवा सेवायत से भिन्न किसी व्यक्ति की काश्तकारी की भूमि है तथा वह व्यक्ति राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ के समय काश्तकार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, वह खातेदार काश्तकार की श्रेणी में होंगे तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगें तथा राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 24.05.2007 जारी किया जिसमें में भी स्थिति को स्पष्ट किया गया है इसी प्रकार राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–6 विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में भी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे मामलों में यदि भूमि मंदिर की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है तो उसे लिपिकीय त्रुटी माना जाकर दुरूस्त की जाऐ जिससे स्पष्ट है माननीय उच्च

संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2015 राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व 25.11.2011 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि जो अन्नू खॉ पुत्र अकबर खॉ की खातेदारी में थी तथा उसके बाद अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज रही है उसे नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा बिना किसी विधिक प्रावधान के एवं बिना किसी रेफरेन्स के माफी मंदिर श्री विठ्ठलजी की खातेदारी में जरिये नामान्तररण संख्या 2555 दर्ज किया गया है, उक्त नामान्तरकरण परिपत्र क्रमांक प.12(22)देव/91/दिनांक 06.03.2003 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि उक्त परिपत्र में खातेदारी विलोपित करने को कोई निर्देश प्रदान नही किया गया है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर वादग्रस्त नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शुन्य अवैध था तथा उक्त अवैध आदेश को चुनौती दिये जाने पर मियाद का बिन्दु कोई बाधक नही है, वादग्रस्त नामान्तरकरण बिना किसी सक्षम आदेश के तथा विधि विरूद्ध स्वीकार किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए पीड़ित पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जो उचित प्रतीत नही होता है किन्तु उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा भी बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 2555 वाके ग्राम रेनवाल पर उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2004 को निरस्त किया जाकर पूर्व की प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाता है। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर